कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,
जिला आगर मालवा

क्रमांक/ /2026-27/ 2864 आगर मालवा, दिनांक 21.05.2026

प्रति,

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय आगर मालवा
समस्त मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी,
जिला आगर मालवा

विषय: भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA-2003), इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध, हुक्का बार प्रतिबंध, तम्बाकू मुक्त गाँव, तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के पूर्ण परिपालन बाबत् ।

भारत में 13 से 14 लाख लोगो की मृत्यु तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण हो जाती है। भारत सरकार ने तम्बाकू आपदा से नागरिकोंकोविशेषकरबच्चोंएवंयुवाओंको बचाने के लिये **सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003)** बनाया है। इस अधिनियम की विभिन्न धाराएं निम्नलिखित है :-

अ : धारा 4:सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है ।

जिले के सार्वजनिक स्थानों पर सुनिश्चित करें कि –

- निम्न प्रारूप के धूम्रपान निषेध सबंधी न्यूनतम **60X30**से. मी. आकार के बोर्ड लगे हो ।

- सार्वजनिक स्थानों पर कोई धूम्रपान ना करे, अगर इन स्थानों में कोई धूम्रपान करते हुए मिलता है तो दंडात्मक कार्यवाही करें ।इन स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर 200/- रुपये तक जुर्मने का प्रावधान है ।

ब : धारा 5 : तम्बाकू उत्पादों के **प्रचार – प्रसार हेतु विज्ञापन,** उनके द्वारा **प्रयोजन (स्पोंसरशिप) एवं प्रोत्साहन** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है ।

स : धारा 6

- **धारा 6 अ** – 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबन्धित है ।
- **धारा 6 ब** – शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है ।

(अतिरिक्त – किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 के अनुसार नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद प्रदान करने पर 7 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रुपयों तक जुर्मने का प्रावधान है ।)

द : धारा 7:तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के ऊपर 85 प्रतिशत चेतावनी (60 प्रतिशत चित्र एवं 25 प्रतिशत लिखित) प्रदर्शित होना अनिवार्य है। चित्रात्मक एवं लिखित स्वास्थ्य चेतावनी के बिना तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है ।

2. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंधित –इलेक्ट्रॉनिकसिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भण्डारणऔरविज्ञापन) काप्रतिषेधअधिनियम, 2019केअनुसार ई – सिगरेट **पूर्णतः प्रतिबंधित है**। प्रतिषेध कानून 2019 की धारा 4 के अनुसार ई – सिगरेट का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, विज्ञापन पर प्रतिषेध है। जिले में यदि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

3. हुक्का बार – राज्य सरकार ने 27 दिसम्बर 2023**गजट क्रमांक 20805-208-21-अ (प्रा)** द्वारा हुक्का बार

प्रतिबंधित किया है। यदि कोई हुक्का बार संचालित करतेहुए पाया जाए उसके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4. तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान - भारत सरकार की **तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान गाईडलाइन्स, राज्यसरकारकेआदेश एवं भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA-2003)** की विभिन्न धाराओं के अनुसार जिले के समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाए।

5. तम्बाकू मुक्त गाँव - स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाइन्स (Standard Operating Procedure) 2024 एवंसंचालक, पंचायत राज संचालनालय म.प्रकेआदेश के अनुसार तम्बाकू मुक्त गाँव बनाने के लिए पहल की जाये।

6. फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबेको कंट्रोल (FCTC)अनुच्छेद 5.3 – तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तम्बाकू नियंत्रण के लिये प्रारूप सम्मलेन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबेको कंट्रोल **(FCTC)** की वर्ष 2004 में भारत के द्वारा अभिपुष्टि की गई है।**FCTC के अनुच्छेद 5.3** के अनुसार तम्बाकू उद्योग के वाणिज्य तथा अन्य निहित स्वार्थो से तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं लोक स्वास्थ्य नीतियों को सुरक्षा प्रदान की जानी है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण नीतियों को निर्धारित करने और स्थापित करने के लिए जरुरी है कि –

- तम्बाकू उत्पाद की व्यसनी और हानिकारक प्रकृति के बारे में जागरूकता बढाई जाये, नीतियों में तम्बाकू विक्रेताओं/उद्योग द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप न हो।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू नियंत्रण को प्रभावित एवंतम्बाकूकोबढ़ावादेनेवालेकिसीभी तरह के आयोजन, प्रचार, प्रोत्साहन, प्रतियोगिता आदि में भाग ना लें।किसी भी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी **(Corporate Social Responsibility-CSR)**गतिविधियों के माध्यम से तम्बाकू उत्पादों को बढ़ावा देते हुए दिखे तो उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
- शिक्षण संस्थान में तम्बाकू उद्योग एवं विक्रेता द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि का आयोजन ना होऔरप्रायोजन हेतु तम्बाकू कंपनी से सहयोग ना लें।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपकी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है :

- सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त करें।
- विभाग की बैठकों के एजेंडा में तम्बाकू नियंत्रण राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा को / । शामिल किया जाए
- कोटपा की धारा ब के त 6हत शैक्षणिक संस्थानों के) गज 100300 फीटके दायरे में आने वाली (उल्लघन की दशा में दंडनात्मक कार्यवाही की । सभी तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को हटाया जाए । जाए
- धारा । को ना बेचे जाए / अ के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाए की तम्बाकू उत्पाद नाबालिगो द्वारा 6 उल्लघन की दशा में दंडनात्मक कार्यवाही की जाए।
- धारा के अंतर्गत की गयी कार्यवाही से प्राप्त अर्थदंड को स्वास्थ्य विभाग के स्टेट हेल्थ 6 एवं 4 सोसाइटी के**अकाउंट नंबर 39061833761, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया** के अकाउंट हेड में जमा की जाए।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की तम"्बाकू मुक्त शिक्षण संसथान गाइडलाइन्सके अनुसार " । समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाए

उपरोक्त समस्त प्रावधानों को लागू कराने के संबंध में विभागकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उक्त नियमों का अनुपालन करके आपके द्वारा उठाये गये आवश्यक कदम बच्चों, युवाओं एवं आमजन को तम्बाकू आपदा से बचाने में कारगर सिद्ध होंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला आगर मालवा

क्रमांक/ /2026-27/ 2865 आगर मालवा, दिनांक 21/05/26

प्रतिलिपि –

1- मिशन संचालक भोपाल ,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ,म.प्र. ।
2- कार्यालय कलेक्टर, जिला आगर मालवा की ओर सूचनार्थ।
3- कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ उज्जैन संभाग, उज्जैन 0म)प्र(0।
4- राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, भोपाल 0म)प्र(0।
5- जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला आगर मालवा की ओर सूचनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला आगर मालवा